



06.04.2022

To,
The Manager
BSE Ltd.
25th floor, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

Subject: License for setting-up Distillery unit

Scrip Code: 532102

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform your good offices that the Company has received the license to set-up Distillery unit at vill- Loyan Malakpur, Teh- Baraut, Dist. – Baghpat, Uttar Pradesh.

The copy of said license is enclosed herewith.

Kindly take the same on your record.

The same will be available on Company's website.

Thanking You,

Yours faithfully,

For SBEC Sugar Limited



Ankit K. Srivastava
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: A/a

प्रपत्र पी0डी0 33

(नियम1(3) और 2(2) देखिये)

आसवनी की स्थापना के लिये लाइसेंस

लाइसेंसधारी मेसर्स एस.बी.ई.सी. शुगर लिमिटेड, ग्राम लोयन मलकपुर, तहसील-बड़ौत, जनपद बागपत को 5,00,000/- (पाँच लाख) रूपये की लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर एक्साइज मैनुअल खंड 1 के अध्याय 9 में अन्तर्विष्ट-आसवनियों में स्प्रिट के निर्माण से सम्बद्ध नियमों तथा ऐसे अन्य नियमों के अधीन रहते हुये जिन्हें आबकारी आयुक्त तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर आबकारी राजस्व को सुनिश्चित करने तथा स्प्रिट के निर्माण को विनियमित करने के लिये बनाया जाय, बागपत जिला में तहसील बड़ौत ग्राम लोयन मलकपुर पर 100 कि०ली० प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 330 कार्यदिवस के आधार पर 330 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की शीरे पर आधारित आसवनी, जिसके अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं एस०डी०एस० का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, की स्थापना करने के लिये उसको प्राधिकृत करते हुये एतद्द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। इसके पूर्व वर्णित किन्हीं नियमों का व्यतिक्रम करने पर ऐसी अन्य शास्तियों के, जिन्हें संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन विहित किया जाय, अतिरिक्त लाइसेंस समपहत किया जायेगा।

लाइसेंस...16.3.2022... (इस लाइसेंस के जारी होने के दिनांक) से दो वर्ष की अवधि के लिये विधि-मान्य होगा।

आसवक इस लाइसेंस की अवधि को बढ़ाने के लिये उसकी अवधि समाप्त होने के कम से कम तीस दिन पूर्व आबकारी आयुक्त को आवेदन करेगा।

प्रयागराज

दिनांक 16.3.2022


(संथिल पांडियन सी.)
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।